#### 2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:-

#### शासन स्तर :-

## 1-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण:-

- 1. मा० मंत्रि-परिषद / मा० मुख्यमंत्री जी / मा० मंत्री जी को प्रस्तुत होने वाले मामले।
- भारत सरकार / किसी अन्य संस्था को राज्य सरकार की ओर प्रेषित की जाने वाली टीका / अभिमत संबंधी मामले।
- 3. नीति निर्धारण संबंधी समस्त मामले।
- 4. जिला / सामुदायिक / प्राथमिक चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति।
- 5. विभागीय वार्षिक / पंचवर्षीय योजना एवं बजट का अनुमोदन।
- 6. समूह 'क' की सतर्कता जांचों के मामलों में दण्ड का निर्धारण।
- 7. पी०ए०सी०/आडिट प्रस्तरों का उत्तर।
- 8. विभागीय प्रगति की समीक्षा।
- 9. विभागाध्यक्ष के अधीन समूह-क एवं उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य।
- 10. चिकित्सा सचिव शाखा के अनुभाग अधिकारियों एवं उनसे ऊपर के स्तर अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य।
- 11. चिकित्सा सचिव शाखा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन।
- 12. विधान मण्डल के तारांकित प्रश्नों का अनुमोदन।

### 2— प्रमुख सचिव को आवंटित कार्यों के अतिरिक्त निम्न व अन्य मामले सचिव को प्रस्तुत होंगें, जो यथावश्यक मा0 मंत्री जी का आदेश प्राप्त करेंगें:—

- 1. वित्तीय स्वीकृति संबंधी समस्त मामले।
- 2. समूह—'ख' एवं 'ग' की सतर्कता जांचों के मामलों में दण्ड का निर्धारण।
- 3. विभागाध्यक्ष के अधीन समूह—ख के अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य।
- 4. विभागाध्यक्ष / चिकित्सा सचिव शाखा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अपीलों का निस्तारण कार्य।
- 5. विधान मण्डल के अतारांकित प्रश्नों का अनुमोदन।
- 6. रिट याचिकाओं में प्रतिवाद के आदेश निर्गत करने संबंधी कार्य।

#### 3-विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण:-

- 1. विभागाध्यक्ष / चिकित्सा सचिव शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अधिष्ठान कार्य।
- 2. चिकित्सा अनुभाग–6 से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले।

- 3. प्रश्नों / रिट याचिकाओं / वित्तीय मामले / प्राप्त शिकायतों आदि में सूचना मांगे जाने का कार्य।
- 4. समूह—घ के कर्मचारियों के विरूद्ध जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील / निगरानी के मामले।
- 5. चिकित्सा सचिव शाखा के अधिकारियों / कर्मचारियों के जी०पी०एफ० स्वीकृति / अर्जित / चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति ।

संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर पर प्रकरणों का परीक्षण कर निर्णय हेतु पत्रावली उक्त तीनों सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

#### :-स्वास्थ्य महानिदेशालय :-

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुर्नगठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के अर्न्तगत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यालय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/परिवार कल्याण महानिदेशालय के लिये चिन्हित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के पदों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण।

1	निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम)		मूल्यांकन तदानुसार कार्यवाही तथा	संयुक्त निदेशक (1)	कार्यक्रम से सम्बन्धित भैतिक एवं वित्तीय कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
			महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित / दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (2)	स्थापना एवं अधिष्ठान का कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		2. अपर निदेशक (राष्ट्रीय	राष्ट्रीय पुनरिक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित वित्तीय/ भौतिक एवं अधिष्ठान सम्बन्धित समस्त कार्य एवं समस्त कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तदानुसार कार्यवाही एवं महानिदेशक/ निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	कार्यक्रम से सम्बन्धित भैतिक एवं वित्तीय कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		कार्यक्रम)		संयुक्त निदेशक (2)	स्थापना एवं अधिष्ठान का कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		3. अपर निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम)	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित वित्तीय/ भौतिक एवं अधिष्ठान सम्बन्धित समस्त कार्य एवं समस्त कार्यो का अनुश्रवण एवं	संयुक्त निदेशक (1)	कार्यक्रम से सम्बन्धित भैतिक एवं वित्तीय कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
			मूल्यांकन तदानुसार कार्यवाही एवं महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य साथ ही समस्त लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन से	संयुक्त निदेशक (2)	स्थापना एवं अधिष्ठान का कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।

	T	T		1	T
			सम्बन्धित कार्य।	संयुक्त निदेशक (3)	समस्त लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न / आश्वासन से सम्बन्धित कार्य।
			केन्द्रीय, राज्य एवं जिला योजनाओं के स्थापना एवं कियान्वयन से सम्बन्धित	संयुक्त निदेशक 1)	केन्द्रीय, राज्य एवं जिला योजनाओं के स्थापना संबन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		अपर निदेशक (नियोजन)	समस्त कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्याकन तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (2)	केन्द्रीय, राज्य एवं जिला योजनाओं के क्रियान्नवयन संबन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
	निदेशक	अपर निदेशक (बजट)	प्लान, प्लान बजट, नान प्लान बजट व एकाउन्ट से सम्बन्धित समस्त कार्यो का संचालन व नियंत्रण सम्बन्धी समस्त	संयुक्त निदेशक (1)	प्लान, प्लान बजट से सम्बन्धित समस्त कार्यो का संचालन व नियंत्रण सम्बन्धी समस्त कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
2	(नियोजन एवं बजट)	अपर गिदराक (बजट)	संचालन व नियंत्रण सम्बन्धा समस्त कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक 2)	नान प्लान बजट व एकाउन्ट से सम्बन्धित समस्त कार्यो का संचालन व नियंत्रण सम्बन्धी समस्त कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		अपर निदेशक (विश्व बैक परियोजना)	विश्व बैक परियोजना से सम्बन्धित प्रकरणों की स्थापना एवं क्रियान्नवयन से सम्बन्धित समस्त कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्याकन तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	विश्व बैक परियोजना से सम्बन्धित प्रकरणों की स्थापना सम्बन्धित समस्त कार्यो तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक (2)	विश्व बैक परियोजना से सम्बन्धित प्रकरणों के क्रियान्नवयन सम्बन्धित समस्त कार्यो तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
3	निदेशक (महिला उपचार)	1. अपर निदेशक (कार्मिक	सामान्य उपसंवर्ग की समस्त महिला चिकित्साधिकारियों के अधिष्टान सम्बन्धी	संयुक्त निदेशक (1)	लेविल 1,2 (सामान्य) की महिला चिकित्सकों के अधिष्ठान सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		एवं प्रशासन सामान्य)	समस्त कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (2)	लेविल 3 से उच्च (सामान्य) की महिला चिकित्सकों के अधिष्ठान सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		2. अपर निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन विशेषज्ञ उपसंवर्ग)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग की समस्त महिला चिकित्साधिकरियों के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	लेविल 1,2 (विशेषज्ञ) की महिला चिकित्सकों के अधिष्ठान सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।

				संयुक्त निदेशक (2)	लेविल 3 से उच्च (विशेषज्ञ) की महिला चिकित्सकों के अधिष्ठान सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		3. अपर निदेशक महिला	प्रदेश के महिला चिकित्सालयों व साठस्वाठकेठ पर महिला उपचार की सेवाओं का अनुश्रवण तथा प्रबन्ध एवं उपकरणों की कियाशीलता तथा औषधियों की उपलब्धता सम्बन्धी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	प्रदेश के महिला चिकित्सालयों व सा०स्वा०के० पर महिला उपचार की सेवाओं का अनुश्रवण तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		उपचार		संयुक्त निदेशक (2)	प्रदेश के महिला चिकित्सालयों व सा०स्वा०के० पर प्रबन्ध एवं उपकरणों की कियाशीलता तथा औषधियों की उपलब्धता सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		4. अपर निदेशक	महिलाओं हेतु संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणत्मक विकास का अनुश्रवण एवं मूल्याकन तथा महिला चिकित्सकों द्वारा सम्पादित मेडिकोलिगल कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	महिलाओं हेतु संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणत्मक विकास का अनुश्रवण एवं मूल्याकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		(मुख्यालय महिला)		संयुक्त निदेशक (2)	महिला चिकित्सकों द्वारा सम्पादित मेडिकोलिगल कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
4	निदेशक (भण्डार)			संयुक्त निदेशक (1)	औषधियों से सम्बन्धित दरों के अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		1. अपर निदेशक (औषधी)	औषधियों से सम्बन्धित समस्त वित्तीय एवं भौतिक कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (2)	औषधियों के कय सम्बन्धी कार्यो को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक (3)	औषधियों के रख रखाव तथा भण्डारण सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		2. अपर निदेशक (उपकरण)	उपकरण सेस सम्बन्धित समस्त वित्तीय एवं भौतिक कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	उपकरणों से सम्बन्धित दरों के अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक (2)	उपकरणों के क्य सम्बन्धी कार्यो को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।

5	निदेशक (संक्रमाक रोग)		एन०ए०सी०पी०सी०डी० कार्यक्रम	संयुक्त निदेशक (3)	उपकरणों के रख रखाव तथा भण्डारण सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य। एन०ए०सी०पी०सी०डी० कार्यक्रम से सम्बन्धित दरों के अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य। जल/वायु/धरती जनित रोगों से सम्बन्धित दरों के
			जल / वायु / धरती जिनत रोगों, बाढ़ दैविय आपदा, से सम्बन्धित समस्त कार्यो के कार्य योजना तथा धन की उपलब्धता की समीक्षा / सूचना का	संयुक्त निदेशक (2)	अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य। बाढ़ दैविय आपदा कार्यक्रम से सम्बन्धित दरों के अनुबन्ध
		1. अपर निदेशक (संकामक रोग)	उपलब्धता का समक्षा / सूचना का संकलन से सम्बन्धित प्रकरणों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के साथ स्थापना सम्बन्धी कार्य एवं लोक सभा, राज्य	संयुक्त निदेशक (3)	सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य। प्रदेश मे एन०ए०सी०पी०सी०डी०
			सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से सम्बन्धित कार्य तथा	संयुक्त निदेशक (4)	प्रयोगशाला के नियंत्रक अधिकारी तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य। लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान
			महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य। बेक्टर वार्न डीसीज से सम्बन्धित	संयुक्त निदेशक (5)	परिषद प्रश्न / आश्वासन / विधायी समितियों व आयोगों से सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य। मलेरिया कार्यक्रम से
		2. अपर निदेशक (बेक्टर वार्न डीसीज)	बक्टर वान डासीज स सम्बान्धत मलेरिया, इन्सेफलाइटिस, डेंगूॅ, फीवर, फाईलेरिया, कालाजार आदि से सम्बन्धित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के साथ स्थापना सम्बन्धी कार्य एवं	संयुक्त निदेशक (1)	मलारया कायकम स सम्बन्धित दरों के अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य। इन्सेफलाइटिस कार्यक्रम से
			लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से सम्बन्धित कार्य तथा महानिदेशक/निदेशक द्वारा आवंटित	संयुक्त निदेशक (2)	सम्बन्धित समस्त कार्यो के कार्यो के कार्य योनजा का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
			एवं दिये गर्ये कार्य।	संयुक्त निदेशक (3)	डेंगू फीवर कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त कार्यो के कार्यो के कार्य योनजा का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।

	T	T		T	
				संयुक्त निदेशक (4)	फाईलेरिया कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त कार्यो के कार्यो के कार्य योनजा का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक (5)	कालाजार कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त कार्यो के कार्यो के कार्य योनजा का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक (6)	चिकनगुनिया कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त कार्यो के कार्यो के कार्य योनजा का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक (7)	लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न / आश्वासन / विधायी समितियों व आयोगों से सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
	निदेशक (चिकित्सा उपचार नगरीय)	चिकित्सा उपचार	कार्य एवं चिकित्सकीय समितियों / इकाइओं के कार्यों का समन्वय एवं निस्तारण सम्बन्धी कार्य एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि सम्बन्धी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	चिकित्सालयों के स्थापना सम्बन्धित कार्य एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
6				संयुक्त निदेशक (2)	चिकित्सकीय समितियों / इकाइओं के कार्यो का समन्वय एवं निस्तारण सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक (1)	चिकित्सकीय कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
			संयुक्त निदेशक (2)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी कार्य तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों को मानक के अनुरूप चिकित्सा उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं	

					दिये गये कार्य।
			निदेशक (सीएचसी) को आवटित कार्यो	संयुक्त निदेशक (1)	सीएचसी पर संचालित चिकित्सा उपचार सेवाओं, मेडिकोलिगल, यूजर चार्जेज, झोलाछाप डाक्र्से सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
7	निदेशक (सीएचसी)	अपर निदेशक (सीएचसी)	के निस्पादन में सहयोग प्रदान करना तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (2)	सीएचसी से सम्बन्धित रोगियों व रोगो की सूचना का संकलन, उपकरणों की कियाशीलता, औषधियों की उपलब्धता से सम्बन्धित समितियों व ईकाईयों के कार्यो का निस्तारण एवं समन्वय, विधायी समितियों आयोगों तथा न्यायालय से सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
8	निदेशक पीएचसी)	अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार पीएचसी)	निदेशक (पीएचसी) को आवटित कार्यों के निस्पादन में सहयोग प्रदान करना तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक (1)	पीएचसी पर संचालित चिकित्सा उपचार सेवाओं, मेडिकोलिगल, यूजर चार्जेज, झोलाछाप डाक्ब्सें सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
9	निदेशक (स्वास्थ्य)		ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, औषधि नियंत्रक, राजकीय जनविशलेषक, डूक / खाद्य प्रयोगशाला संबंधी कार्य	संयुक्त निदेशक(1)	औषधि नियंत्रक, राजकीय जनविशलेषक, ड्रग / खाद्य प्रयोगशाला संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		1. अपर निदेशक (स्वास्थ्य)	तथा लोक सभ, राज्य सभ, विधान, सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/आश्वासन /विधायी समितियों व आयोगों से संबंधित कार्य तथा महानिदेशक /निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(2)	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, तथा लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		2.अपर निदेशक (स्वास्थ्य)	प्रदेश के समस्त पंजीकृत / अपंजीकृत मेलों संबंधी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, खाद्य अपमिश्रण, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, सिविल अभियंत्रण इकाई संबंधी तथा अधीनस्थ इकाईओं के क्वालिटी ऐन्शोरेन्स संबंधी कार्य, वाइटल स्टेटिक्स व जन्म मृत्यु आंकड़ा	संयुक्त निदेशक(1)	प्रदेश के समस्त पंजीकृत / अपंजीकृत मेलों सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, खाद्य अपमिश्रण, सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।

			संबंधी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(2)	राज्य स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, सिविल, अभियंत्रण इकाई सम्बन्धी तथा अधीनस्थ इकाईओं के क्वालिटी ऐन्शोरेन्स सम्बन्धी कार्य, वाइटल स्टेटिक्स व जन्म मृत्यु आंकड़ा सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटन एवं दिये गये कार्य।
10		1. अपर निदेशक (पैरामेडिकल)	फार्मासिस्ट संवर्ग कर्मियों का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	फार्मासिस्ट संवर्ग कर्मियों का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		2. अपर निदेशक (पैरामेडिकल)	एल0टी0 संवर्ग किमेयों का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	एलoटीo संवर्ग किमयों का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
	निदेशक (पैरामेडिक ल)	3. अपर निदेशक (पैरामेडिकल)	ई0सी0जी0, एक्सेरे टेक्नी0, फिजियोर्थरिपिस्ट, अकोपेशनल थैरे0 संवर्ग कर्मियो का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	ई०सी०जी०, एक्सेरे टेक्नी०, फिजियोर्थरिपिस्ट, अकोपेशनल थेरे० संवर्ग कर्मियो का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
		4. अपर निदेशक (पैरामेडिकल महिला)	चीफ फार्मासिस्ट, प्रा0अधि० फार्मा० विशेष कार्याधिकारी व उच्च पद कर्मियों का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	चीफ फार्मासिस्ट, प्रावअधिव फार्माव, विशेष कार्याधिकारी व उच्च पद कर्मियों का अधिष्ठान तथा नियुक्ति संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।
11	निदेशक (प्रशिक्षण)	1. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) सामान्य	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन, सुदृढ़ीकरण, प्रबन्धन, समन्यवय संबंधी कार्य तथा संस्थानों के मानक के अनुरूप प्रस्ताव का मूल्यांकन व अनुश्रवण संबंधी के कार्य के साथ लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/आश्वासन /विधायी समितियों व आयोगों से संबंधित कार्य तथा महानिदेशक/निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन, सुदृढ़ीकरण, प्रबन्धन, समन्यवय संबंधी कार्य तथा संस्थानों के मानक के अनुरूप प्रस्ताव का मूल्यांकन व अनुश्रवण संबंधी के कार्य के साथ लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से संबंधित कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्यं।

12			सेवाकालीन चिकित्सकीय उच्च शिक्षा,		सेवाकालीन चिकित्सकीय
.2	निदेशक प्रशासन	2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) विशेषज्ञ	सेवारत चिकित्सकों का प्रशिक्षण तथा इनसे संबंधित लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न /आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से संबंधित कार्य तथा महानिदेशक/निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	उच्च शिक्षा, सेवारत चिकित्सकों का प्रशिक्षण तथा इनसे संबंधित लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न / आश्वासन / विधायी समितियों व आयोगों से संबंधित कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		3. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) महिला	सेवारत महिला चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण, पैरामेडिकल कर्मियों का प्रशिक्षण, स्टेट मेडिकल फैक्लटी का कार्य, अन्य विभागों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	सेवारत महिला चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण, पैरामेडिकल कर्मियों का प्रशिक्षण, स्टेट मेडिकल फैक्लटी का कार्य, अन्य विभागों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		1. अपर निदेशक (प्रशासन	सामान्य उपसंवर्ग के लेविल 4 व उससे उच्च पदो के अधिष्ठान तथा प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा महानिदशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य	संयुक्त निदेशक (1)	सामान्य उपसवर्ग के लेविल 4 के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान तथा प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
		सामान्य)		संयुक्त निदेशक (2)	सामान्य उपसंवर्ग के लेविल 4 को छोड़ते हुए उच्च पदो के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान तथा प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
		2.अपर निदेशक (प्रशासन विशेषज्ञ)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग के लेविल 4 व उससे उच्च पदो के अधिष्ठान तथा प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा महानिदशक / निदेशक द्वारा आवटित एवं दिये गये कार्य	संयुक्त निदेशक (1)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग के लेविल 4 को छोडते हुए उच्च पदो के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान तथा प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
				संयुक्त निदेशक (2)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग के लेविल 4 को छोडते हुए उच्च पदो के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान तथा प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य

3.अपर निदेशक (कार्मिक / गोपन)	लेविल 1 से 4 तक के पदा पर चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा महाानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य	संयुक्त निदेशक (1)	सामान्य उपसंवर्ग के लेविल 1 से 4 तक के पदो पर चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
		संयुक्त निदेशक (2)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग के लेविल 1 से 4 तक के पदो पर चिकित्साधिकारियो के प्रोन्नत सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
4.अपर निदेशक (कार्मिक)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग लेविल 1, 2 व 3 के चिकित्सा अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा महानिदशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य	संयुक्त निदेशक (1)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग के लेविल 1 के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा निदशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
		संयुक्त निदेशक (2)	विशेषज्ञ उपसंवर्ग लेविल 2 व 3 के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
5.अपर निदेशक (कार्मिक सामान्य)	सामान्य उपसंवर्ग के लेविल 1, 2 व 3 के चिकित्सा अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवंटित एव दिये गये कार्य	संयुक्त निदेशक (1)	सामान्य उपसंवर्ग लेविल 1 के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
		संयुक्त निदेशक (2)	सामान्य उपसंवर्ग लेविल 2 व 3 के चिकित्सा अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एव दिये गये कार्य
6 अपर निदेशक (मुख्यालय विशेषज्ञ)	अधीनस्थ कार्यालय के आशुलिपिक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मिको के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा महानिदशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य	संयुक्त निदेशक (1)	अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मियो के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य

		संयुक्त निदेशक (2)	अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक श्रेणी कर्मियो के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
7. अपर निदेशक (यांत्रिकी)	मुख्यालय संवर्ग के आशुलिपिकी, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मिको के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य एवं परिवहन अनुभाग से सम्बन्धित कार्य तथा महानिदशक / निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य	संयुक्त निदेशक (1)	मुख्यालय संवर्ग के आशुलिपिक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मियो के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य
		संयुक्त निदेशक (2)	परिवहन अनुभाग से सम्बन्धित कार्य तथा निदेशक द्वारा आवंटित एवं दिये गये कार्य

# :- परिवार कल्याण महानिदेशालय :-

1	निदेशक (परिवार कल्याण)	1. अपर निदेशक (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं व जनसंख्या नियंत्रण कार्य, सरकारी तथा निजी इकाईओं द्वारा सम्पादित परिवार कल्याण कार्यो का समन्यवय परिवार कल्याण कार्यो का समन्यवय तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(1)	परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं सरकारी तथा निजी इकाईओं द्वारा सम्पादित परिवार कल्याण कार्यो का समन्यवय तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
				संयुक्त निदेशक(2)	जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		2. अपर निदेशक (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण विभान्न योजनाओं का प्रस्ताव संकलन, धनराशि के व्यय के संबंध में मूल्यांकन मल्टीमरपज फंड का अनुश्रवण व मूल्यांकन, पोस्टमार्टम सेन्टर, अर्बन फेमली प्लानिग सेन्टर कार्यक्रम, आर०सी०एच० आई०ई० सी० ब्यूरो संबंधी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये	संयुक्त निदेशक(1)	परिवार कल्याण विभान्न योजनाओं का प्रस्ताव संकलन, धनराशि के व्यय के संबंध में मूल्यांकन मल्टीमरपज फंड का अनुश्रवण व मूल्यांकन, तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।

			कार्य ।		पोस्टमार्टम सेन्टर, अर्बन
			काय	संयुक्त निदेशक(2)	पोस्टमाटम सन्टर, अबन फेमली प्लानिंग सेन्टर कार्यक्रम, आरं०सीं0एच0 आईं०ईं० सीं0 ब्यूरो संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		3. अपर निदेशक (परिवार	ए०ओ०, संगणक, फोटोग्राफर, एच०इ०आई०ओ०, स्वास्थ्य पर्ववेक्षक, एएनएम, पुरूष कायकर्ता तथा प्रतिरक्षण अधिकारी से संबंधित समस्त अधिष्ठान संबंधी कार्य लोक सभा, राज्य सभा,	संयुक्त निदेशक(1)	ए०ओ०, संगणक, फोटोग्राफर, एच०इ०आई०ओ०, से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान संबंधी कार्य लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से संबुंधित कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
	3	उ. अपर निदशक (पारवार कल्याण)	विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से संबंधित कार्य तथा महानिदेशक/ निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(2)	स्वास्थ्य पर्ववेक्षक, एएनएम, पुरूष कायकर्ता तथा प्रतिरक्षण अधिकारी से संबंधित समस्त अधिष्ठान संबंधी कार्य लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद प्रश्न/ आश्वासन/विधायी समितियों व आयोगों से संबंधित कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
2	निदेशक (एमसीएच)	1. अपर निदेशक	आर0एच0एम0 के अन्तर्गत एमसीएच कार्यक्रमों जननी सुरक्षा योजना संबंधी कार्य एमसीएच कर्मियों का प्रशिक्षण, अधिष्ठान तथा विभिन्न समितियों के बीच समन्यवय कार्य तथा	संयुक्त निदेशक(1)	आर0एच0एम0 के अन्तर्गत एमसीएच कार्यक्रमों जननी सुरक्षा योजना संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		(एमसीएच)	महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(2)	एमसीएच कर्मियों का प्रशिक्षण, अधिष्ठान तथा विभिन्न समितियों के बीच समन्यवय कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
		2. अपर निदेशक (एमसीएच)	शीत श्रृंखला से संबंधित कर्मियों, एएनएम के अधिष्ठान संबंधी कार्य, नई एएनएम के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति संबंधी	संयुक्त निदेशक(1)	शीत श्रृंखला से संबंधित कर्मियों, एएनएम के अधिष्ठान संबंधी कार्य, तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।
			कार्य, एमसीएच कार्यक्रम से संबंधित संस्थानो की उपलब्धता तथा बजट संबंधी कार्य तथा महानिदेशक / निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।	संयुक्त निदेशक(2)	नई एएनएम के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति संबंधी कार्य, एमसीएच कार्यक्रम से संबंधित संस्थानो की उपलब्धता तथा बजट संबंधी कार्य तथा निदेशक द्वारा आंवटित एवं दिये गये कार्य।